संख्या-130/2022/849/22-2-2021-17(505)/2021

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 31 अगस्त, 2022*

विषय:-केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेश पुत्र श्री रोहन, निवासी जनपद-शाहजहांपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4324/प्रोबे-5-दया0 बैठक-11-02-2021 दिनांक 22-02-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेश पुत्र श्री रोहन, जो दूल्हा ढकिया, थाना-तिलहर, जनपद-शाहजहांपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा जमीन को लेकर चल रही मुकदमेंबाजी की रंजिश के कारण दिनांक 01.07.2003 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी एवं तमंचा से गोली मारकर बद्री नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-438/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट), शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 18.01.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.05.2020 तक 11 वर्ष 05 माह 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 14 वर्ष 10 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक में बंदी द्वारा जघन्य अपराध किये जाने, भविष्य में अपराध करने की प्रबल सम्भावना होने, भविष्य में अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा दिनांक 11.09.2020 को जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर की अध्यक्षता में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी महेश (बन्दी संख्या-46226) पुत्र श्री रोहन, निवासी जनपद-शाहजहांपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-130/2022/849(1)/22-2-2021 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।

2-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।